राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3072/2023

डॉ. चन्द्र शेखर शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, राजकीय हरबक्स कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 31.10.2023
आदेश की दिनांक : 02.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश चन्द शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियो डायग्नोसिस) के पद पर राजकीय हरबक्स कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला चिकित्सालय शाहपुरा, भीलवाड़ा में किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 602/2022 दायर की गई, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17.10.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रहने के के आदेश दिए गए। अपीलार्थी ने अगस्त, 2022 से आज दिनांक तक का बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 19.12.2022, 04.02.203, 06.02. 2023 एवं 04.05.2023 (अनुलग्नक–3) को प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 27.10.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1975/2023 डॉ

साधना गुप्ता बनाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा बकाया वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए है। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त तथ्यों पर आधारित है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित अगस्त, 2022 से आज दिनांक तक का वेतन दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (रेडियो डायग्नोसिस) के पद पर राजकीय हरबक्स कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है तथा आदेश दिनांक 10.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय हरबक्स कावंटिया चिकित्सालय, जयपुर से जिला चिकित्सालय शाहपुरा, भीलवाड़ा किया गया। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 17.10.2022 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को उसी स्थान पदस्थापित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसे वही पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को अगस्त, 2023 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का बकाया वेतन किसी भी रिक्त पद से आहरित किया जावे तथा पूर्व का बकाया वेतन भी अपीलार्थी को नियमानुसार एक माह की अवधि प्रदान की जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य